## MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK



(A State University established under Haryana Act No.25 of 1975)
NAAC Accredited 'A' Grade

MOST URGENT DATE BOUND

No.EN-4/15/M-94(III)/ 9490 - 949/ Dated: 25-6-15

To

- All Heads of the Deptts./Branch Officers, Maharshi Dayanand University, Rohtak.
- 2. Director, University Institute of Law & Management Studies, Gurgaon.
- 3. Director, University Campus School, Rohtak.

Sub: Training to applicants of State S.A.S. Part-1 in the Account Training Institute, Haryana, Panchkula - 14<sup>th</sup> Course

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of letter No.TA-(ATI)2015/394 dated 25.05.2015 received from the Principal, Account Training Institute, Haryana, Sinchai Bhawan, Panchkula inviting applications from the interested employees for 14<sup>th</sup> training course of SAS Part-1, training programme. You are, requested kindly to circulate the same amongst the employees working under you and recommend the name of the employee who fulfil the conditions mentioned in the letter dated 25.05.2015. The application, duly recommended must be sent by 29.06.2015 positively. However, the application received thereafter will not be entertained.

Yours faithfully,

D.A. As above

Asstt. Registrar (Estt.) for Registrar

Endst. No.EN-4/15/M-94(III)/_	19850 - Ju	Dated:	. FTT
Lilada III			

Copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

 P.A to Vice-Chancellor/Registrar/Controller of Exams. (for kind information of the Vice-Chancellor/ Registrar/Controller of Examinations), Maharshi Dayanand University, Rohtak.

Asstt. Registrar (Estt.)
for Registrar

D.A. As above

EN-4/84 8/6/15

E-4386 8/6/0 सेवा में प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, सिंचाई भवन, "बी ब्लाक", पंचम तल, सैक्टर 5, पंचकूला ।

**2**: 0172-2573875

Maharshi Dayanoud Robotak

यादि क्रमांक टीए—(एटीआई)2015 / 3 9 4 दिनांक 25 मई, 2015

स्टेट एस0ए0एस0, भाग-1 के उम्मीदवारों को लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में प्रशिक्षण देना - 14वां कोर्स ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

2. आपको सूचित किया जाता है कि एस0ए0एस0 भाग—ा के प्रशिक्षण का 14वां कोर्स 06 जुलाई 2015 से 28 अगस्त, 2015 तक प्रायोजित किया जा रहा है । इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग व अपने अधीनस्थ कार्यालयों से कर्मचारियों के नाम रिकमैण्ड करके प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, सिंचाई भवन, 'बी' ब्लाक, पंचम तल, सैक्टर 5, पंचकूला को दिनांक 30.06.2015 तक भेजें । सिफारिश किये गये कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 'स्नातक' तथा सरकारी नियमित सेवा तीन वर्ष या इससे अधिक हो । जो कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग—ा का आठ सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है तो कृपया ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये न भेजा जाये । नाम भेजते समय कृपया निम्नलिखित सूचना भी स्पष्ट रूप से भेजी जाये:—

कर्मचारी की जन्म तिथि
 सरकारी सेवा में आने की तिथि नियमित व तदर्थ सेवा का ब्यौरा अलग—अलग स्पष्ट करें।

(2) 33/m

हि । विषय:-

3.	कर्मचारी की योग्यता	शैक्षणिक	
4.	कर्मचारी के अन्ति या यदि सेवा काल से कम हो तो कुल काल की गोपनीय ब्यौरा :—	ा 10 वर्ष न सेवा	क. कुल रिपोर्टी की संख्या = ख. अच्छी, बहुत अच्छी तथा उत्कृष्ट रिपोर्टी की संख्या = ग. औसत रिपोर्टी की संख्या = घ. औसत से कम रिपोर्टी की संख्या = ड उन रिपोर्टी की संख्या जिनमें कर्मचारी की ईमानदारी पर सन्देह प्रकट किया गया हो =

- 4. केवल उन कर्मचारियों के नामों की सिफारिश की जाये जिनकी पिछले दस वर्षों, यदि सेवा काल दस वर्ष से कम हो तो कुल सेवा काल में 70 प्रतिशत गोपनीय रिपोर्ट अच्छी/बहुत अच्छी/उत्कृष्ट हो और इस अविध में जिनकी ईमानदारी कभी सन्देहयुक्त न रही हो । विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष कृपया यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करें कि जिन कर्मचारियों की वे इस कोर्स के लिये सिफारिश कर रहे है उनकी ईमानदारी कभी भी सन्देहयुक्त नहीं रही है ।
- 5. कर्मचारी के आवेदन पत्र कृपया अपनी सिफारिश के साथ इस संस्थान को भेजें । यह भी देखा गया है कि कर्मचारी एस०ए०एस०, भाग—ा की परीक्षा के लिये नियत पुस्तकों के बिना ही आ जाते हैं और उनमें बहुत से नियमों की प्रारम्भिक जानकारी के बिना होते हैं और न ही वे अच्छी तरह से लिखने की क्षमता रखते हैं । पुस्तकों/नियमों की प्रारम्भिक जानकारी तथा लिखने की क्षमता के बिना उनके लिये ठीक प्रशिक्षण प्राप्त करना सम्भव नहीं होता । इसलिये आपसे अनुरोध है कि उम्मीदवार के नाम की सिफारिश करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास निर्धारित पुस्तकों है और वे एस.ए. एस. परीक्षा को पास करने के लिये वास्तव में उत्सुक है और नियमों की जानकारी में रूचि और लिखने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं तथा परिश्रमी है।
- 6. उन कर्मचारियों को, जिन्होंने किसी अन्य ऐसे पद, जिस पर नियुक्ति के कारण उन्हें प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना पड़े, के लिये आवेदन पत्र दिया हो, के नाम की सिफारिश न की जाये।
- 7. कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता नियम 2.88 सी०एस०आर०, खंड—।।। तथा अन्य सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन सम्बन्धित

## विभाग से मिलेगा ।

कर्मचारी को पद मोचन करके इस संस्थान में दिनांक 06.07.2015 को प्रातः 11.00 बजे तक उपस्थित होने के आदेश दे । आपसे अनुरोध है कि प्रशिक्षणार्थी को पदमोचन करने से पूर्व कृपया आप फिर से देख ले कि यह कर्मचारी एस०ए०एस०, भाग-1 की परीक्षा देने के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये हुये नियमों के अनुसार पूरी तरह से योग्य है । आप द्वारा ऐसे कर्मचारियों को इस संस्थान में भेजने से पहले नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर एक बांड भी भरवाना होगा, जिसकी प्रति संलग्न है । इस बांड को आपने अपने कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में सुरक्षित रखना है और इस संस्थान को केवल उसकी सूचना देनी है कि यह बांड भरवा लिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिये फिलहाल छात्रावास का कोई प्रबन्ध नहीं हैं और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान यहां पर ठहरने के लिये प्रबन्ध स्वयं करना होगा। यह परिपन्न Treasuries की Director, and Accounts, Haryana वैबसाईट (http://www.hrtreasuries.gov.in/) से भी डाउन लोड किया जा सकता है ।

> (डा० यू०एस०मिलक) प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थान हरियाण

लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला ।

पृ०कमांक टीए-(एटीआई)-2015 / 395 दिनांक 25 मई, 2015 इसकी एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी बोर्डज, निगमों व विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ भेजी जाती है । आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया उन कर्मचारियों का नाम रिकमैण्ड करके भेजें, जोकि 'निर्धारित शर्तों को पूरी करता हो । आप के कार्यालय द्वारा 4000 / — रूपये टयूशन फीस की राशि ड्राफ्ट द्वारा इस प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के एक सप्ताह के अन्दर एकमुश्त जमा करवानी होगी । ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला के पक्ष में देय होना चाहिये । प्रशिक्षण पर भेजने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेना संस्थान / निगम / बोर्ड आदि की अपनी जिम्मेवारी होगी।

(डा० यू०एस०मलिक)

प्रधानाचार्य लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला ।

## FORM OF BOND FOR GOVERNMENT EMPLOYEES PROCEEDING ON S.A.S. PART-I TRAINING IN THE ACCOUNTS TRAINING INSTITUTE, HARYANA, SINCHAI BHAWAN, "B" BLOCK, $5^{\text{TH}}$ FLOOR SECTOR 5, PANCHKULA.

	This in	denture ma	de thisday of	two thous	and	
fifteen	between	Shri/Ms		son/daughter/wife	of	
Sh			(hereinafter called the	obligor which expression s		
include his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the one part and						
the Governor of Haryana (hereinafter called "the Govt.") which expression shall include his						
successors and assignees of the other part.						

Whereas the obligor has been selected for undergoing training in connection with subordinate Accounts Service in the Accounts Training Institute, Haryana, Panchkula and the Govt. have agreed to bear all the expenses in relation to the said training and to make certain payments in the form of pay and allowances.

And whereas the conditions upon which the obligor has been selected to undergo training are that he will appear in the State Subordinate Accounts Service, Part-I Examination to be conducted by Government after the completion of his training except on medical grounds or due to other unavoidable circumstances for which he has to satisfy his Head of Department and that he will serve the State Govt. of Haryana at least 5 years after undergoing the training in the Accounts Training Institute and in the event of breach of these conditions he will be liable to pay to the Govt. all expenses incurred by the Govt. on his training including pay and allowances etc. together with interest thereon at the rate for the time being in force on Govt. loans and that if he is declared successful in Subordinate Accounts Services Examination conducted by the Govt. his services will be placed at the disposal of the Director, Treasuries and Accounts Department, Haryana for posting against vacancies of Section Officers in the Department concerned.

Now this indenture witnesseth that for the consideration aforesaid, the obligor both hereby convenient to appear in the State Subordinate Accounts Service, Part-I Examination to be conducted immediately after the completion of his training except or medical ground or due to other unavoidable circumstances for which he will satisfy his Head of Department and that he will serve the State Govt. at least for five years after undergoing the training in the Institution and in the event of any breach thereof, he will pay to the Govt. all the expenses incurred by the State Govt. on his training including pay

Som on only

In witness whereof the said	(obligor
name) and	for and on behalf of the Court
have hereinto set their respective hands the p	ay and year first above written
	, and the desire times.
Signa	ture & Designation of the Obligor
Signature by the said obligor in	
The presence of : -	
1	
2	
(Cignature of with each)	
(Signature of witness)	
signed by (Name and designation)	
For and on behalf of the Govt. of	
Haryana in the presence of: -	
1	
	*
Ζ	
(Signature of witnesses)	
	Signature & Designation of the Officer